गृह मंत्रालय की अगस्त माह 2020 में मुख्य उपलब्धियां, उल्लेखनीय विकास और महत्वपूर्ण घटनाएं।

कंटेन्मेंट जोन्स में दिनांक 30.09.2020 तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने का आदेश तथा चरणबद्ध तरीके से पुनः खोले जाने (अनलॉक-4) के नए दिशानिर्देश दिनांक 29.08.2020 को जारी किए गए। दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन तथा कार्यान्वयन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों तथा प्रशासको को एक अ.शा.पत्र भी जारी किया गया।

2. गृह मंत्रालय, कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगातार कड़ाई से निगरानी रखे हुए है और सभी आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। वंदे भारत स्कीम और एयर ट्रांसपोर्ट बबल अरेंजमेंट के तहत, अंतरराष्ट्रीय यात्राओं हेतु अनियत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए दिनांक 22.08.2020 को संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की गई।

3. इसके अतिरक्त, व्यक्तियों और वस्तुओं तथा सेवाओं की अंतर-राज्य तथा अंतरा-राज्य आवाजाही से प्रतिबंध हटाने के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों और प्रशासको को दिनांक 22.08.2020 को एक अं.शा.पत्र जारी किया गया।

4. केंद्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 07.08.2020 को नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में सीमावर्ती अवसंरचना परियोजनाओं पर आयोजित 48वीं उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

5. अगस्त माह, 2020 में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्य सरकारें के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से एल डब्ल्यू ई परिदृश्य की अर्द्धवार्षिक समीक्षा साझा की गई।

6. एल डब्ल्यू ई प्रभावित जिलों में वित्तीय समावेशन के संबंध में विकासात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से दिनांक 07.08.2020 को विशेष सचिव (पुलिस) की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई।

7. विशेष सचिव (पुलिस) ने राज्यों के नोडल अधिकारियों तथा एजेंसियों के साथ दिनांक 07.08.2020 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में सीपीआई (माओवादी) की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए कार्यान्वयन प्रणाली की समीक्षा भी की।

8. संयुक्त सचिव (एल डब्ल्यू ई) ने दिनांक 10.08.2020 को वीडियो क्रांफ्रेस के माध्यम से एल डब्ल्यू ई प्रभावित जिलों में अस्पतालों के उन्नयन के संबंध में समीक्षा बैठक की।

9. एल डब्ल्यू ई प्रभावित क्षेत्रों में एल डब्ल्यू ई गतिविधियों की रोकथाम के लिए जागरूक बनाने हेतु राज्य सरकारों/सीएपीएफ को एक एडवाइजरी जारी की गई।

10. स्वतंत्रता दिवस, 2020 के अवसर पर पुलिस कार्मिकों के लिए वीरता के लिए 215 पुलिस पदक (पीएमपी), उल्लेखनीय सेवा के लिए 80 राष्ट्रपति पुलिस पदक (पीपीएम) और सराहनीय सेवा के लिए 631 पुलिस पदक (पीएम) की घोषणा की गई।

11. स्वतंत्रता दिवस, 2020 के अवसर पर अग्निशमन सेवा, होम गार्डस और सिविल रक्षा कार्मिकों के लिए कुल 113 पुरस्कारों की घोषणा की गई।

12. विधिविरुद्ध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 45 (1) तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के अनुसरण में 50 आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए चार्ज शीट दायर करने की मंजूरी प्रदान की गई।

13. माह के दौरान 1,90,500/-रु. की कीमत के 500/- रु. के भारतीय मुद्रा नोट तथा लगभग 15 करोड़ रु. की कीमत की 4.949 कि.ग्रा. स्वापक सामग्री (हेरोइन ) जब्त की गई।

******